पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–08/2019 45 /न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–06/08/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) अंतर्गत Compost Pit बनाने हेतु नागरिक सुविधा मद से कुल ₹5.937 लाख (पाँच लाख तिरानवे हजार सात सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुश्रवण माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा राज्यों एवं नगर निकायों के स्तर पर नियम का कार्यान्वयन नहीं होने को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है और राज्यों में सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट नियम तथा Plastic Waste management Rules, Bio medical Waste Management Rules एवं संबंधित अन्य बिन्दुओं के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु समिति गठित किया गया है तथा इसके अतिरिक्त राज्य के मुख्य सचिवों को भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव, बिहार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दिनांक–15.03.2019 के समक्ष उपस्थिति हुए, जिसके क्रम में उन्हें SWM Rule, 2016 के सभी प्रावधानों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

2. SWM Rule, 2016 के अंतर्गत बिहार राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की नीति एवं रणनीति गठित की गयी है, जिसे विभागीय पत्रांक– 398, दिनांक– 09.02.2019 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं नगर निकायो को भेजा गया है, जिसमें केन्द्रीकृत एवं विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण दोनों का विकल्प दिया गया है। राज्य के कई नगर निकायों में विकेन्द्रीकृत कचरा प्रसंस्करण एवं Landfill Site दोनों के लिए समुचित भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अनुपालन में कठिनाई हो रही है।

3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के प्रभावी अनुपालन हेतु प्रसंस्करण एवं निबटान दोनों के लिए भूमि उपलब्धता के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को मुख्य सचिव द्वारा विभागीय पत्रांक– 610, दिनांक– 26.02.2019 द्वारा दिशा–निर्देश भेजा गया है। उक्त दिशा–निर्देश के अनुसार नगर निकायों को सर्वप्रथम अपनी भूमि को प्राथमिकता के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराना है और

भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला पदाधिकारी से भी सम्पर्क कर सरकारी भूमि का निःशुल्क आवंटन करना होगा।

4. विभिन्न ऐसे नगर निकाय जहाँ अपनी भूमि भी उपलब्ध नहीं है और सरकारी भूमि भी आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं हो पा रही है। वैसी स्थिति में नगर निकाय द्वारा सर्वप्रथम कचरा प्रसंस्करण हेतु लीज पर जमीन लेने का निर्णय लिया गया है। सामान्यतः ठोस कचरा प्रसंस्करण के लिए औसतन 2.5 से 3.0 कट्ठा भू–खंड स्थल की आवश्यकता होगी, जिससे औसतन नगर निगम क्षेत्र के 3–4 वार्ड, नगर परिषद् के 6–7 वार्ड एवं नगर पंचायत के 10–11 वार्ड अच्छादित हो सकते हैं। इस कार्य के लिए रैयती भूमि को 10 वर्षीय लीज पर प्राप्त करने की अनुमति विभागीय पत्रांक– 04, दिनांक– 06.04.2019 द्वारा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण हेतु एक नगर निगम में 10 स्थल, एक नगर परिषद् में 05 स्थल तथा नगर पंचायत में 02 स्थल की आवश्यकता होगी। प्रत्येक 3000 वर्गफीट के एक स्थल के लिए नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत में मासिक लीज का किराया क्रमशः ₹15000/–, ₹9000/– एवं ₹5000/– देय होगा।

5. नगर निकायों द्वारा लीज पर लिये गये भूमि के किराये के रूप में कुल अनुमानित व्यय ₹29.40 करोड़ (उनतीस करोड़ चालीस लाख रु०) होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत अर्थात् ₹14.70 करोड़ (चौदह करोड़ सत्तर लाख रु०) एकमुश्त नगर निकायों को दिया जाएगा। यह राशि राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से दी जाएगी। नगर निकायों द्वारा अपने 50 प्रतिशत अंश का वहन 10 वर्षों में किया जाएगा अर्थात् नगर निकायों द्वारा प्रत्येक वर्ष 05 प्रतिशत राशि का वहन किया जाएगा। इस प्रकार नगर निकायों पर एकसाथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा और लीज पर भूमि भी उपलब्ध हो जाएगी।

6. उक्त के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, दलसिंहसराय के पत्रांक– 809, दिनांक– 06.06.2019 के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के आलोक में विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण कार्य हेतु लीज पर लिए गए भूमि हेतु कुल ₹5.937 लाख (पाँच लाख तिरानवे हजार सात सौ रू०) मात्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

7. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, दलसिंहसराय में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली के आलोक में विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण कार्य हेतु लीज पर लिए गए भूमि हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 के अनुरूप कुल ₹5.937 लाख (पाँच लाख तिरानवे हजार सात सौ रू०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :–

Unit	निर्धारित 3000 वर्गफीट का मासिक किराया	कुल 10 वर्ष की राशि	राज्य सरकार/विभाग के स्तर से वांछित स्वीकृत @ 50% राशि
1	*2*	*3*	*4*
Unit–1 हेतु	4950.00	594000.00	297000.00
Unit–1 हेतु	4945.00	593400.00	296700.00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹5.937 लाख (पाँच लाख तिरानवे हजार सात सौ रू०) मात्र।

8. उक्त स्वीकृत कुल ₹5.937 लाख (पाँच लाख तिरानवे हजार सात सौ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर पंचायत, दलसिंहसराय के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

9. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

10. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय, स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

11. नगर पंचायत, दलसिंहसराय द्वारा लीज पर भूमि लिये जाने के लिए नियमानुसार EOI (अभिरूचि की अभिव्यक्ति) प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें भूमि से संबंधित शर्तें निम्नलिखित होंगी :–

(i) भूमि जल–जमाव से ग्रसित नहीं होनी चाहिए।

(ii) भूमि के ऊपर से High Tension विद्युत तार नहीं गुजरना चाहिए।

(iii) भूमि पर पहुँच पथ कम से कम 16 फीट का होना चाहिए।

(iv) भूमि सभी प्रकार से विवाद रहित होना चाहिए।

(v) भूमि का स्वामित्व स्पष्ट होना चाहिए।

12. नगर पंचायत, दलसिंहसराय द्वारा EOI के माध्यम से प्राप्त रैयती भूमि के स्वामी से एकरारनामा हस्ताक्षरित होने के उपरांत विभाग को सूचित करने एवं विभाग से राशि की अधियाचना करने पर राज्य सरकार का अंशदान विमुक्त किया जायेगा।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०सु०–03–08/2019 के पृष्ठ सं०–04/टि० पर दिनांक–30.07.2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–04/टि० पर दिनांक– 31.07.2019 को प्राप्त है।

16. इसकी सूचना आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05.08.19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–08/2019 45 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–06/08/19

प्रतिलिपिः– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंहसराय/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02, 03, 04 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय सी०जी०आर० कोषांग को ई०मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.08.19

सरकार के विशेष सचिव।